उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण

राज्य नियोजन संस्थान, नवीन भवन, कालाकांकर हाउस, पुराना हैदराबाद, लखनऊ–226007

पत्रांकः 3676 / यू.पी.रेरा / तक.प्रकोष्ठ / 2023–24

दिनांकः / ८ /२३ / 2024

आदेश

भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन से क्रेता एवं प्रोमोटर के मध्य परस्पर विश्वासकारक, विधिक जटिलताओं से रहित सम्बन्ध विकसित होना आशयित है। इससे रियल एस्टेट सेक्टर का विकास एवं सम्बन्धित पक्षकारों की संतुष्टि के बिन्दु सीधे जुड़े हुए हैं। भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही करने में उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899, भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 आदि के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना होता है।

2. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 में भू–सम्पदा परियोजना पंजीकरण, भू–सम्पदा अभिकर्ता पंजीकरण, प्रोमोटर के कर्तव्य, आवंटियों के अधिकार एवं कर्तव्य के साथ ही किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा शिकायत किये जाने की स्थिति में प्राधिकरण के अधिकारों एवं कर्तव्यों का विस्तृत उल्लेख किया गया है। रेरा प्राधिकरण किसी परियोजना के पंजीकृत होने से लेकर परियोजना के ओ.सी. / सी.सी. प्राप्त होने तक परियोजना की प्रगति का QPR के माध्यम से पर्यवेक्षण करता है तथा आवश्यक सुधारात्मक कदम भी उठाता है। परियोजना पंजीकरण (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं उ.प्र. भू–सम्पदा से परियोजना के समय भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं उ.प्र. भू–सम्पदा से परियोजना के समय भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं उ.प्र. भू–सम्पदा से परियोजना के समय भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 एवं उ.प्र. भू–सम्पदा से परियोजना के सम्बन्ध में जानकारियाँ ली जाती हैं। इन जानकारियों में परियोजना जिस भूमि पर स्थित है, उसके स्वत्व का बिन्दु सम्बन्धित परियोजना के निर्माण एवं उसके बाद तक अविभाज्य रूप से जुडा होता है।

3. परियोजना तथा जिस भूमि पर परियोजना अवस्थित है, उसके स्वत्व का बिन्दु परियोजना पंजीकरण एवं बाद की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बिन्दु है। इसी कारण भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3, 4, 11, 17, 18, 19 आदि में तथा इसी अनुरूप उ.प्र. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 के नियम– 3, 4, 14 आदि में अनेक उपबन्ध किये गये हैं। परियोजना का ले–आउट, मानचित्र, प्रोमोटर एवं आवंटी के मध्य स्वत्व के अन्तरण से जुड़े हुए अनुबन्ध व कन्वेयान्स डीड, प्रोमोटर एवं स्वत्वाधिकारी भूमिधर के मध्य निष्पादित ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, परियोजना की ओ.सी. / सी.सी. आदि बिन्दु भूमि के स्वत्व से प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हुए हैं। विधिक स्थिति स्पष्ट होने के बावजूद कतिपय प्रकरणों में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत विधिक बिन्दुओं को पुनः स्पष्ट किया जाना आवश्यक पाया गया है, जिससे सर्वसम्बन्धित इसका संज्ञान लेते हुए अनुपालन सुनिश्चित करें।

4. भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—3 के अनुसार बिना रेरा पंजीयन के किसी ऐसी परियोजना जिसमें 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल अथवा 08 अपार्टमेन्ट या फ्लैट से अधिक इकाई शामिल हो, का प्रचार—प्रसार, विक्रय, बुकिंग आदि प्रतिबन्धित है। रेरा में परियोजना पंजीयन के सम्बन्ध में धारा—4 में विस्तृत प्रावधान दिये गये हैं। अधिनियम की धारा—4 की उपधारा—(2)(f), (g) एवं (l) में परियोजना स्थल तथा संभावित

52

आवंटियों से किये जाने वाले एग्रीमेन्ट फॉर सेल, कन्वेयान्स डीड से सम्बन्धित प्रावधान इस प्रकार हैं:–

- (f) the location details of the project, with clear demarcation of land dedicated for the project along with its boundaries including the latitude and longitude of the end points of the project;
- (g) proforma of the allotment letter, agreement for sale, and the conveyance deed proposed to be signed with the allottees;
- (I) a declaration, supported by an affidavit, which shall be signed by the promoter or any person authorised by the promoter, stating:—
- (A) that he has a legal title to the land on which the development is proposed along with legally valid documents with authentication of such title, if such land is owned by another person;
- (B) that the land is free from all encumbrances, or as the case may be details of the encumbrances on such land including any rights, title, interest or name of any party in or over such land along with details;

उपर्युक्त प्रावधानों से पूर्णतः स्पष्ट है कि किसी परियोजना के पंजीकरण हेतु प्रोमोटर के पास भूमि का वैध स्वामित्व अथवा वैध स्वत्वाधिकारी भूमिधर की सहमति के साथ पंजीकृत ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट आदि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण कारक है। बिना इसके प्रोमोटर किसी आवंटी के पक्ष में आवंटन पत्र, विक्रय अनुबन्ध, कन्वेयान्स डीड का निष्पादन नहीं कर सकता।

5. भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—11 में प्रोमोटर के कार्यों एवं कर्तव्यों से सम्बन्धित प्रावधान दिये गये हैं। इस सम्बन्ध में धारा—11(4)(a), (b), (c) एवं (f) में निम्नवत् प्रावधानित किया गया है:—

- (a) be responsible for all obligations, responsibilities and functions under the provisions of this Act or the rules and regulations made thereunder or to the allottees as per the agreement for sale, or to the association of allottees, as the case may be, till the conveyance of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees, or the common areas to the association of allottees or the competent authority, as the case may be: Provided that the responsibility of the promoter, with respect to the structural defect or any other defect for such period as is referred to in sub-section (3) of section 14, shall continue even after the conveyance deed of all the apartments, plots or buildings, as the case may be, to the allottees are executed.
- (b) be responsible to obtain the completion certificate or the occupancy certificate, or both, as applicable, from the relevant competent authority as per local laws or other laws for the time being in force and to make it available to the allottees individually or to the association of allottees, as the case may be;
- (c) be responsible to obtain the lease certificate, where the real estate project is developed on a leasehold land, specifying the period of lease, and certifying that all dues and charges in regard to the leasehold land has been paid, and to make the
 lease certificate available to the association of allottees;

Page 2 of 7

(re

(f) execute a registered conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of allottees or competent authority, as the case may be, as provided under section 17 of this Act;

उपर्युक्त प्रावधानों से पुनः स्पष्ट है कि प्रोमोटर परियोजना में निर्माण के बाद अपार्टमेन्ट्स, फ्लैट्स एवं कामन एरिया के विक्रय के लिए कानूनी रूप से बाध्य है। प्रोमोटर की इस कानूनी बाध्यता की पूर्ति परियोजना में उसके वैध स्वत्व होने पर ही हो सकती है।

6. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–17 स्वत्व के अन्तरण से सम्बन्धित है। धारा–17(1) में निम्नवत् प्रावधान दिये गये हैं:–

The promoter shall execute a registered conveyance deed in favour of the allottee along with the undivided proportionate title in the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, and hand over the physical possession of the plot, apartment of building, as the case may be, to the allottees and the common areas to the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, in a real estate project, and the other title documents pertaining thereto within specified period as per sanctioned plans as provided under the local laws:

Provided that, in the absence of any local law, conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees or the competent authority, as the case may be, under this section shall be carried out by the promoter within three months from date of issue of occupancy certificate.

6.1 इस सम्बन्ध में भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—18(2) भी ध्यातव्य है, जो निम्नवत् हैः—

The promoter shall compensate the allottees in case of any loss caused to him due to defective title of the land, on which the project is being developed or has been developed, in the manner as provided under this Act, and the claim for compensation under this sub section shall not be barred by limitation provided under any law for the time being in force.

6.2 भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की धारा—19(11) में आवंटियों के सम्बन्ध में भी निम्नवत प्रावधान दिये गैये हैं:—

Every allottee shall participate towards registration of the conveyance deed of the apartment, plot or building, as the case may be, as provided under sub-section (1) of section 17 of this Act

भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 की उपर्युक्त धारा–17, 18 एवं 19 के प्रावधान स्पष्ट करते हैं कि किसी परियोजना में निर्माण कार्य के सम्पन्न होने के बाद निर्विवाद स्वत्व का अन्तरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण वैधानिक प्रक्रिया है। यदि परियोजना में किसी त्रुटिपूर्ण स्वत्व (Defective Title) के कारण आवंटी को कोई क्षति होती है, तो प्रोमोटर क्षतिपूर्ति हेतू उत्तरदायी होगा।

7. उ.प्र. भू—सम्पदा (विनियम एवं विकास) नियमावली, 2016 के नियम—3(1)(d), (e) एवं (f) में परियोजना पंजीकरण के समय प्रोमोटर द्वारा दिये जाने वाले अभिलेखों के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान दिये गये हैं:—

- (d) copy of the legal title deed reflecting the title of the promoter to the land on which development is proposed to be developed along with legally valid documents with authentication of such title, if such land is owned by another person;
- (e) the details of encumbrances on the land on which development is proposed including any rights, title, interest or name of any party in or over such land along with details;
- (f) where the promoter is not the owner of the land on which development is proposed details of the consent of the owner of the land along with a copy of the collaboration agreement, development agreement, joint development agreement or any other agreement, as the case may be, entered into between the promoter and such owner and copies of title and other documents reflecting the title of such owner on the land proposed to be developed;

इन प्रावधानों में भी भूमि पर प्रोमोटर के वैध स्वत्व की व्यवस्था दी गयी है। नियम–3(1)(f) के अनुसार यदि प्रोमोटर के नाम भूमि नहीं है, तो स्वत्वाधिकारी भूमिधर की सहमति के साथ पंजीकृत ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट आदि होना आवश्यक है।

8. उपर्युक्त प्रावधानों से विधिक स्थिति पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है कि भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 प्रोमोटर द्वारा आवंटी के पक्ष में स्वत्व के अन्तरण का प्रावधान करता है। प्रोमोटर के नाम भूमि न होने की स्थिति में भूमिधर के साथ प्रोमोटर का एग्रीमेन्ट इस प्रकृति का होना चाहिए, जिससे आवंटी के पक्ष में विधिक रूप से स्वत्व का अन्तरण सम्भव हो तथा भविष्य में कोई विधिक जटिलता न उत्पन्न हो। यहां यह विधिक बिन्दु भी उल्लेखनीय है कि किसी अनुबन्ध की प्रकृति उसके कन्टेन्ट एवं आशय से निश्चित होती है। कुछ प्रकरणों में अनुबन्ध का शीर्षक भ्रामक दिया जाता है, जिसका सम्बन्ध अनुबन्ध के कन्टेन्ट से नहीं होता है। यह भी सुस्थापित विधि का सिद्धान्त है कि कोई भी व्यक्ति, संस्था अथवा प्राधिकारी किसी अन्य व्यक्ति, संस्था अथवा प्राधिकारी को ऐसा कोई अधिकार अन्तरित नहीं कर सकता, जो स्वयं उसके पास न हो। इस प्रकार विधिक रूप से यह अपरिहार्य है कि भू-सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुपालन हेतु प्रोमोटर के पास परियोजना से सम्बन्धित भूमि पर विधिक स्वत्व विद्यमान हो अथवा स्वत्वाधिकारी भूमिधर के साथ पंजीकृत ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट अथवा कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट हो, जिससे आवंटी के पक्ष में विधिपूर्वक स्वत्व अन्तरण में कोई समस्या न हो।

9. उक्त प्रस्तर संख्या—8 में उल्लिखित बिन्दुओं की पुष्टि उ.प्र. शासन द्वारा निर्गत THE UTTAR PRADESH REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) (AGREEMENT FOR SALE/LEASE) RULES, 2018 में भी की गयी है। इस नियमावली में विक्रय अथवा पट्टे के लिए अनुबन्ध का उपबन्ध करते हुए इसका प्रारूप भी सुनिश्चित किया गया है। इस नियमावली में उल्लिखित है कि:—

WHEREAS:

A- The Promoter is the absolute and lawful owner of [khasra nos./ survey nos.] [Please insert land details as per local laws]------ totally admeasuring------ square meters situated at Tehsil & District------("Said Land") vide sale/lease deed(s)

Page 4 of 7

dated------registration in the office of sub-Registrar----- in book No-1, Volume------ at pages------as documents No----- on dated------

[OR]

[OR]

Provided that where land is earmarked for any institutional development the same shall be used for those purposes only and no commercial/residential development shall be permitted unless it is a part of the plan approved by the competent authority;

C- The Promoter is fully competent to enter into this Agreement and all the legal formalities with respect to the right, title and interest of the Promoter regarding the Said Land on which Project is to be constructed have been completed;

ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट की दशा में भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 के साथ ही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 एवं भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के भी कतिपय प्रावधान प्रासंगिक हो सकते हैं, इसका भी ध्यान रखा जाये।

10. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के धारा–4(2) में परियोजना पंजीकरण के समय ले–आउट, मानचित्र आदि प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान दिये गये हैं:–

- (c) an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority obtained in accordance with the laws as may be applicable for the real estate project mentioned in the application, and where the project is proposed to be developed in phases, an authenticated copy of the approvals and commencement certificate from the competent authority for each of such phases;
- (d) the sanctioned plan, layout plan and specifications of the proposed project or the phase thereof, and the whole project as sanctioned by the competent authority;

कतिपय विकास प्राधिकरणों द्वारा उ.प्र. नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम, 1973 एवं सुसंगत उपविधियों तथा औद्योगिक विकास प्राधिकरणों द्वारा उ.प्र. औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 एवं सुसंगत उपविधियों के अधीन ले–आउट आदि स्वीकृत करते समय स्वत्व से सम्बन्धित अभिलेख सावधानीपूर्वक नहीं देखे जा रहे हैं। भूमि के स्वत्वाधिकारी से भिन्न व्यक्ति के नाम से ले–आउट, मानचित्र आदि स्वीकृत किया जा रहा है, जो उपयुक्त नहीं है।

11. उक्त प्रावधानों का सम्यक अनुपालन न होने से कतिपय प्रकरणों में स्वीकृत ले–आउट तथा मैप में टॉवर, ब्लॉक, परियोजना आदि का नाम एवं स्थलीय विवरण जो रखा जाता है, वह रेरा में पंजीकृत परियोजना के नाम आदि विवरण से भिन्न होता है। विकास प्राधिकरण स्वीकृत ले–आउट, मैप के आधार पर ओ.सी./सी.सी. तथा आंशिक ओ.सी./सी.जारी करता है। ओ.सी. अथवा सी.सी. रेरा पोर्टल पर अपलोड करने के उपरान्त उक्त अन्तर के कारण परियोजना के सम्बन्ध में यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि ओ.सी./सी. उसी परियोजना का है अथवा उससे भिन्न है। इससे परियोजना से सम्बन्धित एकाउन्ट क्लोजर आदि में अनेक प्रकार की समस्याएं एवं जटिलताएं उत्पन्न होती है। उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं का कड़ाई से अनुपालन सुनिष्टिवत किया जायेः–

- 1. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम, 2016 के अन्तर्गत आवंटी को स्वत्व अन्तरण किया जाना एक अनिवार्य अपेक्षा है, अतः प्रोमोटर का परियोजना की भूमि पर भारमुक्त स्वत्वाधिकारी होना अनिवार्य है। यदि भूमि पर किसी प्रकार का भार है, तो उसे सम्यक रूप से बताना चाहिए कि भूमि पर किस प्रकार का भार है। किसी परियोजना के पंजीयन के समय भूमि के स्वत्व एवं भार का परीक्षण करने के उपरान्त विधि की अपेक्षा के अनुरूप ही पंजीयन किया जाये।
- ॥. यदि प्रोमोटर के पास भूमि का स्वत्व नहीं है, तो अधिनियम, नियमावली 2016 एवं THE UTTAR PRADESH REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) (AGREEMENT FOR SALE/LEASE) RULES, 2018 की अपेक्षा के अनुरूप प्रोमोटर एवं स्वत्वाधिकारी भूमिधर के मध्य निष्पादित पंजीकृत ज्वाइंट डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट, डेवलपमेन्ट एग्रीमेन्ट अथवा कोलेबरेशन एग्रीमेन्ट का विधिवत परीक्षण करने के उपरान्त ही मान्यता दी जाये। यह अवश्य देख लिया जाये कि परियोजना में प्रोमोटर के रूप में जुड़े पक्षकारों के अधिकार एवं आवंटियों के प्रति उनके दायित्व किस प्रकार से स्पष्ट किये गये हैं।
- III. THE UTTAR PRADESH REAL ESTATE (REGULATION AND DEVELOPMENT) (AGREEMENT FOR SALE/LEASE) RULES, 2018 के अनुरूप ही प्रोमोटर एवं आवंटियों के मध्य अनुबन्ध निष्पादित किया जाये। प्रोमोटर जिसमें उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद, समस्त आवासीय एवं औद्योगिक विकास प्राधिकरण भी शामिल हैं, द्वारा विक्रय अथवा लीज के अनुबन्ध के सम्बन्ध में निर्गत उक्त नियमावली का अक्षरशः पालन किया जाये।
- IV. भूमि के स्वत्वाधिकारी से भिन्न व्यक्ति, संस्था, कम्पनी, फर्म के नाम से ले–आउट, मानचित्र आदि स्वीकृत न किया जाये।
- v. स्वीकृत ले–आउट तथा मैप में टॉवर, ब्लॉक, परियोजना आदि के नाम एवं स्थलीय विवरण के अनुरूप ही रेरा पंजीकरण के समय नाम एवं स्थलीय विवरण प्रस्तुत किया जाँये, जिससे बाद में किसी प्रकार की कोई जटिलता न उत्पन्न हो। समस्त प्रोमोटर्स

The

एवं विकास प्राधिकरण इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। रेरा स्तर पर चेक लिस्ट में यह बिन्दू भी शामिल किया जाये।

VI. प्रोमोटर द्वारा जिस नाम से रेरा में परियोजना पंजीयन कराया जायेगा, उस नाम से भिन्न किसी नाम से परियोजना का प्रचार–प्रसार नहीं किया जायेगा। परियोजना के प्रचार–प्रसार के सम्बन्ध में कार्यालय ज्ञाप संख्याः 2387 / यू.पी.रेरा / तक. प्रकोष्ठ / 2023–24, दिनांक 22.02.2024 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन सूनिश्चित किया जाये।

(संजय आर भूसरेड्डी)

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

- (1) मा. सदस्यगण, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (2) प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन, उ.प्र. शासन को इस आशय से कि कृपया उपर्युक्त आदेश से उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद तथा समस्त विकास प्राधिकरणों को अवगत कराते हुए अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (3) प्रमुख सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उ.प्र. शासन को इस आशय से कि समस्त औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अवगत कराते हुए अनुपालन हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।
- (4) विधि / तकनीकी सलाहकार, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (5) संयुक्त सचिव/उप सचिव, उ.प्र. भू–सम्पदा विनियामक प्राधिकरण।
- (6) अध्यक्ष, नरेडको / क्रेडाई को इस आशय से कि अपने स्तर से भी समस्त प्रोमोटर्स को अनुपालनार्थ सूचित करने का कष्ट करें।
- (7) समस्त प्रोमोटर्स को अनुपालनार्थ।
- (8) सहायक निदेशक, सिस्टम्स, उ.प्र. रेरा को इस आशय से प्रेषित कि सूचना उ.प्र. रेरा पोर्टल के पब्लिक डोमेन पर प्रदर्शित करायें।
- (9) अन्य सम्बन्धित एवं गार्ड फाइल।

(प्रमोद कुमार उपाध्याय) सचिव